कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष – अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674222, 2674282 फैक्स : 2570852, ई–मेल: apccfre@mpforest.org

क्रमांक/अनु0वि0/रोपणी/ /147 भोपाल, दिनांक : 21/1/14

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
   एवं पदेन वन संरक्षक,
   क्षेत्रीय वन वृत्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
   अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त,
   मध्यप्रदेश।

विषयः रोपणियों से प्रदाय किये जाने वाले पौधों के मानकीकरण के संबंध में प्रस्ताव।

---000---

दिनांक 13–12–13 को वन मुख्यालय, भोपाल में समस्त मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की बैठक में रोपणी से वृक्षारोपण हेतु प्रदाय किये जाने वाले पौधों के मानकीकरण एवं बीज संग्रहण का मानकीकरण के प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश से अनुमोदन प्राप्त कर निम्नानुसार मानकीकरण किया जाता है:–

1. रोपणी से प्रदाय किये जाने वाले पौधों का मानकीकरण

(क) पौधों का संख्यात्मक मानकीकरण (Quantitative Standard)

क्र.	प्रजाति	आयु	लंबाई	कॉलर गोलाई	पॉलीथीन साईज
क. वन क्षेत्रों में रोपण हेतु					
1	बॉस राईजोम से तैयार पॉलीथीन पौधे	1½ से 2 वर्ष	–	राईजोम की औसत गोलाई 3–5 सेंमी	15X25 सेमी
2	सागौन रूटशूट नेकेड क्रोबार से रोपण हेतु	1 से 1¼ वर्ष	लम्बाई 9इंच, रूट 8 इंच, शूट 1 इंच	4–8 सेंमी	वन क्षेत्र में सीधे क्रोबार पद्धति से रोपण किया जायेगा।
3	प्री स्प्राउट सागौन के पॉलीथीन पौधे	1 से 1¼ वर्ष	लम्बाई 9इंच, रूट 8 इंच, शूट 1 इंच	3.5 –5सेंमी	15X25 सेमी
4	शीशम, चिरोल, नीम, सफेद सिरस, केसिया सामियो, साजा, नीलगिरी, बबूल, काला सिरस, लेंडिया, अर्जुन, जामुन, खमेर, बहेड़ा, कंदब	एक वर्ष	न्यूनतम 45 सेंमी	1½–2 सेंमी	15X25 सेमी

क्र.	प्रजाति	आयु	लंबाई	कॉलर गोलाई	पॉलीथीन साईज
5	महुआ, विरोजी, खैर, अर्जन, हर्रा, काला शीशम, हल्दू, बीजा, ऑवला, रेउझा, बेल, कैथ, इमली, चंदन, गिलमा, करघई	दो वर्ष	न्यूनतम 45 सेंमी	2–3 सेंमी	15X25 सेंमी
ख. सड़क/नहर किनारे एवं विस्तार वानिकी में वृक्षारोपण हेतु					
6	पेल्टाफोरम, गुलमोहर, केसिया सामिया, नीम, सप्तपर्णी, आम, इमली, झारूल, अमलतास, स्पैथोडिया, जकरण्डा, करंज, शीशू, मोलश्री, पुत्रन जीवा, कचनार, कदंब, बोगन विलिया, कनेर, पारस पीपल, आकाश नीम	दो वर्ष	न्यूनतम 90 सेंमी	3–5 सेंमी	20X30 सेंमी
7	ग्राफ्टेड ऑवला	9 माह से 1 वर्ष के रूट स्टॉक पर ग्राफ्टिंग की जाती है।ग्राफ्टिंग उपरांत 3 से 6 माह बाद रोपण हेतु पौधा तैयार	न्यूनतम 45 सेंमी	2–3 सेंमी	15X25 सेंमी
8	क्लोनल यूकेलिप्टस (रूट ट्रेनर में तैयार किये जायेंगे)	दो वर्ष की आयु होने के बाद यूकेलिप्टस के वृक्षों को काटकर उनसे प्राप्त कॉपिस से क्लोन प्राप्त कर मिस्ट चैम्बर में क्लोन से रोपण हेतु 90 से 120 दिन की अवधि में पौधे तैयार होते है, जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 30 सेंमी. होती है। पौधे रूट ट्रेनर सहित फिल्ड में रोपण हेतु भेजे जाते है। जहां रूट ट्रेनर से निकालकर रोपण किये जाते है।			
ग. निजी भूमियों पर वृक्षारोपण हेतु					
9	बॉस के पॉलीथीन पौधे	1½ से 2 वर्ष	–	राईजोम की औसत गोलाई 3–5 सेंमी	15X25 सेंमी
10	प्री स्प्राउट सागौन के पॉलीथीन पौधे	1 से 1¼ वर्ष	लम्बाई 9इंच, रूट 8 इंच, शूट 1 इंच	3.5 – 5सेंमी	15X25 सेंमी
11	क्लोनल यूकेलिप्टस	3–4 माह	न्यूनतम 30 सेंमी.	1½–2 सेंमी.	रूट ट्रेनर में
12	खमेर	3–6 माह	न्यूनतम 45 सेंमी.	1½–2 सेंमी.	15X25 सेंमी
घ. औषधीय पौधा					
13	अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतावर, कलिहारी, गुलपकावली, स्टीविया, तुलसी, कालमेघ, सफेद मूसली, कोलियस, बेल	एक वर्ष	–	–	15X25 सेंमी
14	संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजाति जैसे–दहिमन, मैदा, कल्लई, कुंवारिन, सोनपाठा, बीजा, गरूड, पाडर, उदाल, कोचिला इत्यादि	दो वर्ष	न्यूनतम 45 सेंमी	2–3 सेंमी	15X25 सेंमी

(ख) पौधों की गुणात्मक मानकीकरण (Qualitative Standard)

(i) पौधे की पत्तियां हरे रंग की हो, पत्तियां पीली न हो।
(ii) पौधे का तना Woody हो।
(iii) तने की छाल हरे रंग की हो।
(iv) पौधा ऊपर की ओर अपनी क्षमता से सीधा खड़ा हो।
(v) पौधा स्वस्थ एवं रोग रहित हो।
(vi) पौधे की जड़ क्षतिग्रस्त न हो।

2. बीज संग्रहण का मानकीकरण –

(i) सागौन बीज का संग्रहण बीज उत्पादन क्षेत्रों से किया जावेगा। यदि बीज उत्पादन क्षेत्र से पूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्य उपयुक्त साईट क्वालिटी के वन क्षेत्रों से धन वृक्षों से बीज का संग्रहण किया जायेगा।
(ii) बॉस के बीज का संग्रहण बॉस पुष्पन क्षेत्रों से क्षेत्रीय वनमंडलों के समन्वय से किया जायेगा।
(iii) औषधीय पौधों के बीज की व्यवस्था राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, हार्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर, नीमच एवं मदसौर मंडी से नियमानुसार निर्धारित दरों पर प्राप्त किया जायेगा।
(iv) अन्य प्रजातियों के बीज का संग्रहण उपयुक्त साईट क्वालिटी के वन क्षेत्रों से धन वृक्षों से किया जायेगा।

3. सागौन, खमेर, आंवला एवं अन्य प्रजातियों के पौधे जो रूट ट्रेनर में तैयार होते हैं, उन्हें रूट ट्रेनर में तैयार किया जायेगा। ऐसी प्रजातियों के रूट ट्रेनर पौधों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक मानकीकरण करने का प्रस्ताव वन मुख्यालय भेजा जायेगा।
4. मानकीकरण अनुसार बीज संग्रहण एवं रोपणियों में पौधा तैयारी का कार्य किया जायेगा। मानकीकरण के अनुसार पौधे रोपण हेतु प्रदाय किये जायेगे।
5. उपरोक्त मानकीकरण प्रथम बार किया जा रहा है, भविष्य में अनुभव एवं आवश्यकता के अनुसार पौधों के मानकीकरण का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

21/1/14
(वाय.सत्यम)
भा.व.से. 1983
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक / अनु0वि0 / रोपणी / / 148
भोपाल, दिनांक : 21/1/14

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

21/1/14
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल